

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—:

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल—27 व्यक्तियों को अर्न्तगत धारा—151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

01. थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. शिवपता पत्नी मोती लाल नि० रमईपुर थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—234/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. राम कुमार पुत्र सोमन नि० लोलपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—359/20, 02. विनोद सिंह पुत्र स्व० सहदेव सिंह नि० तुलसीपुर माझा पूर्वपट्टी थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 15 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—360/20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. राधेश्याम पुत्र बासुदेव, 02. रोहित पुत्र स्व० अखिलेश नि० बरूतीपुरवा थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10—10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—298/20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

04. थाना छपिया द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. बब्लू पुत्र गिरधारी नि० बेलहरी बुजुर्ग थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—306/20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

दहेज हत्या के आरोप में 03 अभियुक्त गिरफ्तार —

गोण्डा। सोमवार जनपद गोण्डा के थाना को० मनकापुर पुलिस ने दहेज हत्या के 03 आरोपी अभियुक्तों—01. हरिशचन्द्र पुत्र रामशंकर चौहान, 02. रामशंकर चौहान पुत्र गया प्रसाद, 03. श्रीमती प्रभावती पत्नी रामशंकर निवासीगण नरायणपुर ग्रन्ट थाना मनकापुर जनपद गोण्डा को थाना को० मनकापुर में पंजीकृत मु०अ०सं० 293/20 धारा 498ए,304बी भादवि० व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है।

उक्त अभियुक्तों ने दिनांक 27.08.2020 को वादी महादेव चौहान पुत्र राजाराम नि० बेलखा थाना छपिया जनपद गोण्डा की पुत्री को दहेज की बात को लेकर प्रताड़ित करते हुए जान से मार कर घर में ही फाँसी पर लटका दिया था। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना मनकापुर में उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें थाना मनकापुर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए उक्त आरोपी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

आर्म्स एक्ट में की गयी कार्यवाही—

थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

गोण्डा। जनपद गोण्डा के थाना वजीरगंज पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभियुक्त बड़कऊ पुत्र रहमत अली नि० नगवा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा को 01 अदद नाजायज चाकू के साथ गिरफ्तार कर थाना वजीरगंज में अभियुक्त के विरुद्ध मु०अ०सं०—237/20, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

थाना उमरीबेगमगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

गोण्डा। जनपद गोण्डा के थाना उमरीबेगमगंज पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभियुक्त ओंकार सिंह पुत्र गनेश सिंह नि० अल्लीपुर खण्ड राय बनुआ थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर थाना उमरीबेगमगंज में अभियुक्त के विरुद्ध मु०अ०सं०-181/20, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

थाना खोड़ारे ने अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार—

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. मोहम्मद अली उर्फ कालिया पुत्र रज्जब अली नि० पिपरा अदाई थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०-207/20, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।

संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 30/31.08.2020 को थाना खोड़ारे के उ०नि० सत्येन्द्र वर्मा मय हमराह के साथ रात्रि गस्त में रवाना थे कि गाजीपुर नहर पुलिया के पास एक व्यक्ति को संदिग्ध दिखने पर रोकटोक कर चेक किया गया तो अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद हुआ। अभियुक्त के विरुद्ध थाना खोड़ारे में आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ०नि० सत्येन्द्र वर्मा
02. का० नितिन यादव।
03. का० राममिलन।

थाना मोतीगंज ने अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार—

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. पप्पू पासी पुत्र मोती पासी नि० गुरोलिक पुरवा मौजा बनगाई थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०-218/20, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।

संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 30/31.08.2020 को थाना मोतीगंज के उ०नि० सुनील कुमार मय हमराह के साथ रात्रि गस्त में रवाना थे कि मुखबिर की सूचना पर उक्त अभियुक्त को ग्राम अचलापुर से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद हुआ। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मोतीगंज में आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ०नि० सुनील कुमार।
02. का० समर सिंह।
03. का० शुभम मौर्या।

थाना वजीरगंज ने अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार—

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. राम जतन वर्मा पुत्र राम उजागर नि० बाबा कुट्टी तर्काडीहा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 01 अदद अवैध तमंचा 303 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 303 बोर।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०—235/20, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

संक्षिप्त विवरण—

आज दिनांक 31.08.2020 को थाना वजीरगंज के उ०नि० राघवेन्द्र सिंह मय हमराह के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर की सूचना पर उक्त अभियुक्त को ग्राम हरनाटायर के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 303 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद हुआ। अभियुक्त के विरुद्ध थाना वजीरगंज में आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ०नि० राघवेन्द्र सिंह।
02. का० गगन चन्द्र यादव।
03. का० चन्दन मिश्रा।